

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH के माध्यम से Used Water Management (UWM) मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹3563.00 लाख (पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख रुपया) मात्र एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2375.33333 लाख (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रुपया) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹5938.33333 लाख (उनसठ करोड़ अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रुपया) मात्र का वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No.Note-9-12-MS-UWM, दिनांक-16.04.2026 द्वारा SNA SPARSH के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में Used Water Management (UWM) मद में केन्द्रांश की राशि ₹3563.00 लाख (पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख रुपया) मात्र सहायक अनुदान हेतु Mother Sanction निर्गत किया गया है। उक्त Mother Sanction के आलोक में विमुक्त केन्द्रांश की अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2375.33333 लाख (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रुपया) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹5938.33333 लाख (उनसठ करोड़ अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रुपया) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. तदोपरान्त आवश्यकता अनुसार नगर निकायों/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा SNA SPARSH के माध्यम से दिये गये Virtual Allotment/Limit का व्यय किया जायेगा।

3. राशि का व्यय Department of expenditure, Government of India के O.M. No.-1(27)/PFMS/2020, दिनांक-13.07.2023, दिनांक-07.08.2023 दिनांक-20.11.2023, दिनांक-23.11.2023, दिनांक-16.01.2024 एवं दिनांक-20.06.2024 तथा MoHUA के पत्रांक-F.No.Note-9-12-MS-UWM, दिनांक-16.04.2026 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार के पत्र संख्या-e.gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक-13.01.2025 के द्वारा RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धन राशि "Just in Time" पर

जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से Drawing Account खोला गया है, जिसका खाता नम्बर-01585501163 एवं खाता का नाम-BR279-SBM(URBAN) 2.0 (9757) UWM है।

5. भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना को प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-469 दिनांक-14.01.2026 के आलोक में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि ₹5938.33333 लाख (उनसठ करोड़ अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रूपया) मात्र माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0214-स्वच्छ भारत मिशन-2.0 (उपयोग किये गये जल का प्रबंधन) विपत्र कोड-48-2217030510214, PFMS कोड-9757, विषय शीर्ष-31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-75/टि० पर दिनांक-27.04.2026 को एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृ०-76/टि० पर दिनांक-01.05.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-13/SBM-05/2025

22

न०वि०एवंआ०वि०/दिनांक-04.05.26

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 (बजट)/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आशुलिपिक, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव, MoHUA, GoI, SBM-I को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।